

क्षेत्राधिकार सं०२० १, बरेली

बैनामा आवासीय प्लॉट अर्द्धनगरीय क्षेत्र जिस पर कोई निर्माण नहीं है जो शत्रु नजूल चर्च वक्फ सीलिंग की सम्पत्ति नहीं है बिक्रेता क्रेता भारतीय नागरिक है शासनादेश सं० 2756/11-2000-500/07 दिनांक 30 जून सन 2008 के अनुसार स्टाम्प अदा किया गया है।

विक्रय मूल्य /-रु० सरकारी कीमत /-रु० स्टाम्प /- रु०

हम कि अब्दुल हसन पुत्र श्री रहमत उल्लाह अथवा श्रीमती मुन्नी बेगम पत्नी श्री अब्दुल हसन अथवा जे०एच०एम० इन्फ्रा वेंचर्स जिनका रजिस्टर्ड पता चन्दपुर बिचपुरी डोहरा रोड बरेली है द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी मन्सूर हसन खों पुत्र श्री नेमत शेर खों निवासी 201, किंग्स कोर्ट अपार्टमेन्ट जेल रोड सिविल लाइन्स बरेली जो कि संघ विलेख (कन्सोर्टियम डीड) की रजि० दिनांक 15.12.2022ई. को वही नं० 4 जिल्द 310 के पृष्ठ 147 से 162 में नं० 659 पर कार्यालय उपनिबन्धक कार्यालय बरेली में हुई जिसमें अब्दुल हसन पुत्र श्री रहमत उल्लाह व श्रीमती मुन्नी बेगम पत्नी श्री अब्दुल हसन व जे०एच०एम० इन्फ्रा वेंचर्स जो इस संघ विलेख के मेम्बर्स हैं जे०एच०एम० इन्फ्रा वेंचर्स जिसका रजिस्टर्ड पता चन्दपुर बिचपुरी डोहरा रोड बरेली जिसके अधिकृत हस्ताक्षरी मन्सूर हसन खों पुत्र श्री नेमत शेर खों निवासी 201, किंग्स कोर्ट अपार्टमेन्ट जेल रोड सिविल लाइन्स बरेली के हैं बिक्रेता तथा मेम्बर्स बोर्ड ऑफ पार्टनर की मीटिंग दिनांक 03.01.2023ई. में पारित प्रस्ताव के अनुसार मुझ मुक़िर् को दस्तावेजात को तकमिला कर सम्पत्ति बिक्रय करने आदि के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं का हूँ बिक्रेता पेन-AAECJ3300M मो०-9897073073

जो कि खसरा नम्बर 499 रकबा 1.1410है० व खसरा नम्बर 502 का पार्ट रकबा 0.7133है० कुल किता दो कुल रकबा 1.8543है० वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर०तह० व जिला बरेली जिस पर संघ विलेख के मेम्बर्स बहैसियत भूमिधर के मालिक काबिज व दखील चले आते हैं और संघ विलेख के मेम्बर्स का नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत रूप से दर्ज है संघ विलेख के मेम्बर्स ने आराजी उपरोक्त का तलपट मानचित्र सं० PRD/PH/01112/BDA/LD/21-22/0679/13042022 दिनांक 22.12.2022ई. को बरेली विकास प्राधिकरण बरेली से स्वीकृत कराया, और उस पर जे०एच०एम० औरा नाम से प्लाट्स कायम किये है जिसमें से आवासीय प्लॉट नं० जिसमें क्षेत्रफल वर्ग मी० है खसरा नं० 499 व 502 का पार्ट वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर०तह० व जिला बरेली जिसको संघ विलेख के मेम्बर्स बिक्रय करना चाहते हैं तथा खरीदार बैनामा हाजा उसे क्रय करना चाहते हैं तथा खरीदार बैनामा हाजा ने जो कीमत लगाई है वह संघ विलेख के मेम्बर्स को स्वीकार है लिहाजा यह बिक्रय विलेख संघ विलेख के मेम्बर्स ने खूब सोचकर व समझकर स्वेच्छा से शुद्ध व चैतन्य मन से वही आवासीय प्लॉट नं० जिसमें क्षेत्रफल वर्ग मी० है खसरा नं० 499 व 502 का पार्ट वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर०तह० व जिला बरेली महदूदा जैल ममलूका मकबूजा संघ विलेख के मेम्बर्स जिस पर संघ विलेख के मेम्बर्स उपरोक्त विवरण के अनुसार मालिक है जो कही रहन वय वक्फ व जमानत व कुर्की व कर्जेजात सरकारी व गैरसरकारी आदि में नहीं है गर्ज की सब तरह से पाक व साफ है ऐसा ही इत्मिनान क्रेता को दिलाकर साथ सब हदूद व हकूक मिराफिक दाखली व खार्जी के विलऐवज मुवलिंग

..... /- रूपये के बदस्त क्रेता के हाथ व जरूरत इखराजात व मिलने कीमत मुनासिव के कतई बेच डाला और वय कतई कर दिया जरे समन तमाम व कमाल हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर प्लॉट मजकूर पर क्रेता को मालिक काबिज व दखील कर दिया अब संघ विलेख के मेम्बर्स व वारिसान व कायम मुकामान संघ विलेख के मेम्बर्स का प्लॉट मजकूर पर कोई हक व मिल्क किसी किसम का बाकी नहीं रहा और न आइन्दा को होगा वय कामिल तौर पर नाफिज हो गयी अदल बदल हो गयी यह शर्त साफ तौर पर करार पायी कि सानीउलहाल अगर कोई सहीम शरीक हिस्सेदार या किफालतदार या उज्रदार या हकदार या दाबेदार या अन्य कोई शख्स पैदा होकर दावा प्लॉट

मजकूर की बावत करे और उसके दावे से जुज या कुल कब्जा क्रेता से निकल जावे तो क्रेता को अख्त्यार वापसी जरे समन मय हर्जा व खर्चा जात व दीगर जायदाद हर किस्म संघ विलेख के मेम्बर्स व जात व दीगर जायदाद हर इकसाम संघ विलेख के मेम्बर्स से हासिल होगा, विक्रीत सम्पत्ति का पूर्व में कोई बैनामा विलेख, दान पत्र, मुख्त्यारनामा, वसीयतनामा, इकरारनामा मुहायदावय किसी अन्य के पक्ष में नहीं किया गया है विक्रीत भूमि के कब्जे व चौहद्दी की बावत कोई विवाद नहीं हैं विक्रीत सम्पत्ति से संलग्न कोई भी व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। क्रेता भविष्य में सम्पत्ति पर लागू समस्त कर (नगर निगम सर्विस टैक्स जी0एस0टी0 बिजली बिल इत्यादि) देने का पावन्द क्रेता रहेगा क्रेता स्वीकृत मानचित्र जो कि बरेली विकास प्राधिकरण बरेली से स्वीकृत होगा के अनुसार निर्माण करने का पावन्द रहेगा तथा किसी प्रकार का अनाधिकृत अतिक्रमण जनरेटर आदि घर के बाहर नहीं रखेगा। जिस आराजी का जो भू-स्वामि होगा उसको आराजी बिक्रय करने का अधिकार होगा। लिहाजा यह बैनामा कतई लिख दिया कि सनद रहे।

हद्दअर्वा प्लॉट मजकूर— आवासीय प्लॉट नं0 जिसमें क्षेत्रफल वर्ग मी0 है खसरा नं0 499 व 502 का पार्ट वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर0तह0 व जिला बरेली

हद्दअर्वा—

पूरब —

पश्चिम —

उत्तर —

दक्षिण —

पैमाइश— संलग्न नक्शानुसार

घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते है कि विक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के क्षेत्राधिकार में वर्णित अर्द्धनगरीय क्षेत्र के दिये गये सीमांकन के अन्तर्गत स्थित है। विक्रीत सम्पत्ति डोहरा लालपुर मार्ग से विक्रीत सम्पत्ति की दूरी लगभग 150 मी0 है। मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 26 के क्रमांक 96 बी0 कोड नं0 1032 के कालम 07 में निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। प्रलेख में दिये गये विवरण की पूर्ण जिम्मेदारी हम पक्षकारों की होगी धारा 27 स्टाम्प अधिनियम का पूर्ण पालन किया गया है।

तफसील जरे समन —

अ0—————

अ0—————

ग0—————

ग0—————

दिनांक:— 11.07.2017, ड्राफ्टेड वाई—

टाइपड वाई— सूर्य कान्त, बरेली